लियर

(13)

न्यायालय माननीय सदस्य, राजस्व मण्डल म0प्र0, ग्वालियर सर्किट कोर्ट
रीवा, जिला–रीवा (म0प्र0)

R5133-II/16 RS.301/-

1. श्रीमती ममता पत्नी रमेश विश्वकर्मा
2. रमाकान्त तिवारी तनय बालकरण तिवारी
3. चुनवाद दाहिया तनय श्री रामदास दाहिया

तीनों निवासी तलैया बस्ती शिव नगर, डी.एस. कान्वेन्ट स्कूल के पास पतेरी रोड, महदेवा सतना, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना (म0प्र0)

————निगरानीकर्तागण

बनाम्

समीर सिंह तनय श्री श्यामसुन्दर सिंह ठाकुर, निवासी– प्रभात बिहार कालोनी सतना, तहसील–रघुराजनगर, जिला–सतना (म0प्र0)

————प्रत्यर्थी

श्री..देवदयाल सिंह एड के द्वारा आज दिनांक 11-3-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक वृत्त सोहावल, तहसील रघुराजनगर, जिला–सतना (म0प्र0) प्रकरण क्र. 45/अ–12/13–14 आदेश दिनांक 30.08.2014.

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 ई.

मान्यवर,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ
भाग – अ

(13)

निगरानी 5133–दो / 2016 जिला सतना

श्रीमती ममता आदि विरूद्ध समीर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–8–2018	आवेदक अभिभाषक श्री छत्रपाल सिंह एवं अनावेदक अभिभाषक श्री महेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त सोहावल तहसील रघुराजनगर जिला सतना के समक्ष ग्राम महदेवा की आरा0नं0 102/ब रकवा 60x45 अर्थात 2700 वर्गफीट के सीमांकन हेतु आवेदन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक वृत्त सोहावल रघुराजनगर ने आदेश दिनांक 30–8–2014 से सीमांकन आदेश पारित किया। राजस्व निरीक्षक के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनावेदक की ओर से प्रस्तुत सीमांकन आवेदन पर कार्यवाही में आवेदकगण को सूचना पत्र जारी किया गया है परन्तु उस पर आवेदकगण के हस्ताक्षर अंकित नहीं है, जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदकगण को उक्त सीमांकन की पूर्व सूचना नहीं थी। ऐसी स्थिति में आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत समयबाधित निगरानी को जानकारी दिनांक से समय–सीमा में मान्य की जाती है। द्वितीय राजस्व निरीक्षक ने आवेदकगण के सीमांकन प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होते हुये भी न तो विधिवत सूचना जारी की गई है बल्कि उनकी अनपुस्थिति में सीमांकन संपादित किया	

गया है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के अनुसार सीमांकन की कार्यवाही में लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी सूचना देना आवश्यक है तथा सीमांकन सरहदी कास्तकारों के समक्ष किया जाना अवश्यक है। इस संबंध में कई न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में इस सीमांकन प्रकरण में आवेदकगण को विधिवत सूचना न दी जाकर सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी उनुपस्थिति में सीमांकन की कार्यवाही संपातिद की गई है, जो वैधानिक रूप से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के अनुसार इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व निरीक्षक वृत्त सोहावल तहसील रघुराजनगर जिला सतना का आलोल्य आदेश दिनांक 30–8–2014 निरस्त किया जाता है।

पक्षकार सूचित हो। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

7/8/18

(आर0 के मिश्रा)
सदस्य